



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 16.10.2026

- थाना शिवली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए झपटमारी की घटना कारित करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
- अभियुक्त के कब्जे से 01 बाला/झाला पीली धातु का, 01 अवैध तमंचा, 02 जिंदा कारतूस व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 15.10.2026 को वादी श्री पूर्णचन्द्र पुत्र स्व० दुर्गेश कुमार निवासी मारग मैथा थाना शिवली कानपुर देहात द्वारा लिखित तहरीर वादी की पत्नी के कान के झाले दिनांक 14.10.2026 को इंगेजमेंट से वापस आते समय ग्राम बैरी बस्ता के आगे ग्राम हिन्दूपुर मोड़ के पास 03 मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा झपट्टा मारकर छीन ले जाने के सम्बन्ध में दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शिवली पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 346/2026 धारा 304(2) बनाम काली मोटरसाइकिल नं० UP 78 CM 3994 पर सवार 03 अज्ञात व्यक्ति पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में थाना शिवली पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त अंकित यादव पुत्र फूल सिंह उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम उसरिया थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम इन्द्रानगर तिराहा के पास मैथा मोड़ से हिरासत में लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से झपटा गया 01 पीली धातु का बाला/झाला, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल नं० UP 78 CM 3994 को बरामद किया गया। अभियुक्त अंकित यादव से की गयी पूछताछ के क्रम में घटना में शामिल अन्य 02 अभियुक्तों 1. अर्पित यादव पुत्र सुशील कुमार यादव निवासी ग्राम अमरुहिया थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात व 2. अभिषेक यादव पुत्र रामप्रसाद यादव निवासी ग्राम बड़ीकटिका थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात का नाम मु०अ०सं० 346/2026 में प्रकाश में लाया गया एवं बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी है। अभियुक्त अंकित यादव उपरोक्त के कब्जे से बरामद अवैध तमंचा व कारतूस के सम्बन्ध में थाना शिवली पर मु०अ०सं० 347/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अभियुक्त अंकित यादव उपरोक्त पंजीकृत किया गया है व अभियुक्त अंकित यादव की गिरफ्तारी की गयी। फरार/वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

अभियुक्त अंकित यादव उपरोक्त से पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त अंकित उपरोक्त द्वारा पूछने पर बताया गया कि दिनांक 14.10.2026 को मैं व मेरे साथी अर्पित यादव पुत्र सुशील कुमार यादव निवासी ग्राम अमरुहिया थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात व अभिषेक यादव पुत्र रामप्रसाद यादव निवासी ग्राम बड़ीकटिका थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात रात करीब 8 बजे कल्याणपुर से रसूलाबाद जा रहे थे तभी बैरी बस्ता के आगे ग्राम हिन्दूपुर मोड़ के पास सड़क पर एक मोटर साइकिल पर महिला जा रही थी। जिसको हम तीनों ने रोकने का प्रयास किया किन्तु वह लोग नहीं रुके थे तो उनके बगल में अपनी मोटर साइकिल लगाकर महिला के कान का 01 बाला/झाला छीन कर भाग गये मोटर साइकिल वाले ने हमारा पीछा किया था लेकिन हम लोग मोटर साइकिल भगा कर ले गये।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता-

1. अंकित यादव पुत्र फूलसिंह यादव उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम उसरिया थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी का विवरण-

1. मु०अ०सं० 346/2026 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना शिवली कानपुर देहात से सम्बन्धित 01 पीली धातु का बाला/झाला।
2. घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल नं० UP 78 CM 3994।
3. 01 तमंचा 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर।
4. अभियुक्त की जामा तलाशी से प्राप्त 01 01 एन्ड्रायड मोबाइल इनफीनिक्स व 250 रुपये।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अमरेन्द्र बहादुर सिंह
2. उ०नि० श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा
3. उ०नि० श्री अजय कुमार
4. का० 333 अरुण कुमार
5. का० 498 बौबी सिंह
6. का० 256 दाऊजी
7. का० 268 राघवेन्द्र तिवारी
8. का० 552 सुमित कुमार